**संख्या-88/2015/1080/एक-6-2015-142(14)/2015**

प्रेषक,

डी0 के0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद।

**राजस्व अनुभाग-6** **लखनऊ दिनांक 20 नवम्बर, 2015**

विषय: बेली उपरहार बेली मुस्तखार्जा, फतेहपुर बिछुआ हासिमपुर, इलाहाबाद में स्थित भूमियों में दोहरी प्रविष्टि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त् विषयक अपने पत्र संख्या-111/रा0आ0, दिनांक 28-08-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आश्वासन संख्या- 53/87, आश्वासन संख्या-340/2007, आश्वासन संख्या-174/2008 एवं आश्वासन संख्या-88/2007 के सम्बन्ध में दिनांक 28-04-2015 को सम्पन्न मा0 आश्वासन समिति की बैठक में जनपद इलाहाबाद में स्थिति राजकीय आस्थान, जिसमें दोहरी प्रविष्टियों से सम्बन्धित सम्पत्ति भी सम्मिलित है, के बारे में मा0 आश्वासन समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि " जब तक यह बात आइडेन्टीफाइड न हो जाये कि वह नजूल की है या गवर्नमेन्ट इस्टेट का है, जो नजूल के हैं और आइडेन्टीफाइड है वह नजूल नीति के हिसाब से कर सकते हैं और जो गवर्नमेन्ट इस्टेट वाले है, तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप पालिसी नहीं बना रहे है। जब तक यह पालिसी नहीं बन जाती है तब तक गवर्नमेन्ट इस्टेट वाले उस स्टेटस को बनाये रखे और जो दोनों में दर्ज है। उन मामलो में यथा स्थिति बनाये रखें " ।

3- आपसे अनुरोध है कि कृपया दोहरी प्रविष्टियों से सम्बन्धित समस्त मामलो में मा0 आश्वासन समिति की बैठक दिनांक 28-04-2015 में दिये गये उपरोक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( डी0 के0 सिंह )
विशेष सचिव।

**संख्या-1080(1)/एक-6-2015 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद ,उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

( डी0 के0 सिंह )
विशेष सचिव।